

भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी बैंक विभाग
केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई

RESERVE BANK OF INDIA URBAN BANKS DEPARTMENT CENTRAL OFFICE, BOMBAY

लाइसेंस सं. यूबीडी.आरजे.९४५ पी

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ५६ (ग) के साथ
पढ़ी जानेवाली धारा २२ (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीकर इण्डस्ट्रियल
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., सीकर

को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार ~~प्रारंभ करने और~~ चालू रखने का लाइसेंस
प्रदान किया जाता है।

(अ) बैंक को ~~प्रारंभ करने और~~ चालू रखने

~~तक~~ अंतिम ~~होना~~

(ब) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि ~~अवश्य~~ प्रदर्शित
~~करने से~~ दिनांक / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

बी.एल. जैन
बी.एल. जैन

दिनांक : १७ दिसंबर १९८७

२६ अग्राहायन १९०९ (शक)

~~मुख्य~~ मुख्य अधिकारी

LICENCE No. UBD. RJ 945 P

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section
22 (1) read with Section 56 (o) of the Banking Regulation Act, 1949,

Sikar Industrial Urban Co-operative Bank Ltd., Sikar
is hereby granted a licence to ~~carry on banking business~~ carry on banking business, subject
to the following conditions :

(अ) ~~This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the regi-~~
stred office of the bank from the ~~date~~ following the receipt thereof.

~~This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the regi-~~
stred office of the bank from the ~~date~~ following the receipt thereof.

Dated : 17 December 1987
26 Agrahayana 1909 (Saka)

(B.L. Jain)

~~Chief Officer~~

